न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

आदेशिका दि. 13.12.24 के द्वारा "पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, I.A.S. दुरुस्त किया जाता है

पत्रावली संख्या : 27 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

VIVIRITI CAPITAL LIMITED, 607, 6TH FLOOR, KAILASH TOWER, LAL KOTHI, TONK ROAD, JAIPUR- 302015
जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री **AKHIL KUMAR KHANDELWAL**

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **MANOJ SINGH S/o SAMANDER SINGH**
   ADD-1:- 70, DHAYAL SINGH SARPANCH KI DHANI, KOTHI GRAM BADALWAS, VAYA KHOOR, TEHSIL DANTARAMGARH, DISTT SIKAR, RAJASHTHAN - 332023
   ADD-2:- HPC PETROL PUMP, KHASRA No. 1603/2/2/0.23, GRAM KHOOR, PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL DANTA RAMGARH, KHOOR LOSAL ROAD, DISTT SIKAR, RAJASTHAN – 332601
2. **HARI MANOHAR SINGH S/o SAMANDER SINGH**
   ADD-1:- 70, DHAYAL SINGH SARPANCH KI DHANI, KOTHI GRAM BADALWAS, VAYA KHOOR, TEHSIL DANTARAMGARH, DISTT SIKAR, RAJASHTHAN - 332023
   ADD-2:- HPC PETROL PUMP, KHASRA No. 1603/2/2/0.23, GRAM KHOOR, PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL DANTA RAMGARH, KHOOR LOSAL ROAD, DISTT SIKAR, RAJASTHAN – 332601
3. **SAMANDER SINGH S/o RAM SINGH**
   ADD-1:- 70, DHAYAL SINGH SARPANCH KI DHANI, KOTHI GRAM BADALWAS, VAYA KHOOR, TEHSIL DANTARAMGARH, DISTT SIKAR, RAJASHTHAN - 332023
   ADD-2:- HPC PETROL PUMP, KHASRA No. 1603/2/2/0.23, GRAM KHOOR, PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL DANTA RAMGARH, KHOOR LOSAL ROAD, DISTT SIKAR, RAJASTHAN – 332601

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. **ROOP SINGH NIRBAN S/o JAGDISH SINGH NIRBAN**
ADD-1:- NIRBAN RAJPUT, DEVIPRA, JHUNJHUNU - 333003
ADD-2:- HPC PETROL PUMP, KHASRA No. 1603/2/2/0.23, GRAM KHOOR, PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL DANTA RAMGARH, KHOOR LOSAL ROAD, DISTT SIKAR, RAJASTHAN – 332601
5. **JORA RAM SESMA S/o SUKHA RAM**
ADD-1:- BADALWAS, BADALWAS, SIKAR - 372023
ADD-2:- HPC PETROL PUMP, KHASRA No. 1603/2/2/0.23, GRAM KHOOR, PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL DANTA RAMGARH, KHOOR LOSAL ROAD, DISTT SIKAR, RAJASTHAN – 332601

–अप्रार्थीगण(ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 17.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री हरीश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 5 क्रमशः **MANOJ SINGH S/o SAMANDER SINGH, HARI MANOHAR SINGH S/o SAMANDER SINGH, SAMANDER SINGH S/o RAM SINGH, ROOP SINGH NIRBAN S/o JAGDISH SINGH NIRBAN,** एवं **JORA RAM SESMA S/o SUKHA RAM** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **SAMANDAR SINGH S/o RAM SINGH** के स्वामित्व की बंधक वाणिज्यिक सम्पति **HPC PETROL PUMP, KHASRA No. 1603/2/2 में संपरिवर्तित रकबा 0.23 हैक्टेयर, GRAM KHOOR, PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL DANTA RAMGARH, KHOOR LOSAL ROAD, DISTT SIKAR, RAJASTHAN–332601** में स्थित है। जिसका **कुल संपरिवर्तित रकबा 0.23 हैक्टेयर या 2300 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भूमि खसरा नम्बर 1603 एवं नाथू बाली की जमीन, पश्चिम दिशा में भूमि खसरा नम्बर 1604

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

एवं रामदेव खटीक की जमीन, उत्तर दिशा में सड़क एवं दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1603 एवं नाथू बाली की जमीन है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 1,25,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.11.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील **श्री विजय सिंह तंवर** उपस्थित हुए।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **04.11.2022** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटोप्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 5 क्रमशः **MANOJ SINGH S/o SAMANDER SINGH, HARI MANOHAR SINGH S/o SAMANDER SINGH, SAMANDER SINGH S/o RAM SINGH, ROOP SINGH NIRBAN S/o JAGDISH SINGH NIRBAN,** एवं **JORA RAM SESMA S/o SUKHA RAM** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पक्ष में अप्रार्थी **SAMANDAR SINGH S/o RAM SINGH** के स्वामित्व की बंधक वाणिज्यिक सम्पति **HPC PETROL PUMP, KHASRA No. 1603/2/2 में संपरिवर्तित रकबा 0.23 हैक्टेयर, GRAM KHOOR, PANCHAYAT SAMITI & TEHSIL DANTA RAMGARH, KHOOR LOSAL ROAD, DISTT SIKAR, RAJASTHAN–332601** में स्थित है। जिसका **कुल संपरिवर्तित रकबा 0.23 हैक्टेयर या 2300 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भूमि खसरा नम्बर 1603 एवं नाथू बाली की जमीन, पश्चिम दिशा में भूमि खसरा नम्बर 1604 एवं रामदेव खटीक की जमीन, उत्तर दिशा में सड़क एवं दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1603 एवं नाथू बाली की जमीन है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर